

No. क्यू/पीएफ/575/16/2013

विदेश मंत्रालय

जवाहरलाल नेहरू भवन

नई दिल्ली-110011


नई दिल्ली, 24th जून, 2015

कार्यालय शुद्धिपत्र

विषय: विदेश मंत्रालय में वरिष्ठ लेखाकार/लेखापरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में।

पहले जारी किए गए कार्यालय आदेश संख्या क्यू/पीएफ/575/16/2013 दिनांक 8.6.2015 को देखें, जिसमें विदेश मंत्रालय में वरिष्ठ लेखाकार/लेखापरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की बात कही गई है।

2. उपरोक्त आदेश के आवेदन जो 13.7.2015 तक जमा करने हैं, के अनुच्छेद 6,7 और 8 में वर्णित 3 साल के अनिवार्य कार्य अनुभव और APARs को संशोधित किया गया है तथा इसको अब 2 साल का अनिवार्य कार्य अनुभव और APARs जमा कराने के लिए पढ़ा जाए। अन्य नियम और शर्तें पहले के समान ही रहेंगे।



(सुरेश के.मेनन)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 49015360

प्रतिलिपि:

1. सीएजी का कार्यालय, नई दिल्ली।
2. सीजीए का कार्यालय, व्यय विभाग।
3. केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सभी मंत्रालय/विभागों से अनुरोध है कि वे संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों सहित समग्र क्षेत्रों/स्रोतों में इस रिक्ति को परिचालित करें।
4. विदेश मंत्रालय के सभी नोटिस बोर्डों पर।
5. श्रव्य व दृश्य प्रचार निदेशालय, पीटीआई भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6. अवर सचिव (ईजी और आईटी), विदेश मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।